रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 1994/आश्विन 5, 1916
No. 400] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1994/ASVINA 5, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1994

सा.का.नि 723(अ) :—संसदीय समिति द्वारा कागज-पत्रों पर यथा सिफारिश, चाय नियम, 1954 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (2) के साथ पठित, धारा 49 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त

प्रारूप पर, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय को भेजे जाएं।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय संशोधन नियम, 1994 है।

2. चाय नियम, 1954 में, नियम 35 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :—

"(2)(क) बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अंगीकृत संपरीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के, जिससे लेखा और रिपोर्ट संबंधित है, समाप्त होने की तारीख से उस छह मास की अवधि के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) यदि लेखा/रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने की प्रत्यशा, है, तो बोर्ड, कम से कम एक मास पहले तीन मास से अनधिक समय बढ़ाने के लिए सरकार से निवेदन कर सकता है।"

[फा.सं. टी–54012/4/93–प्लांट-ए]
जे.के.बागची, अपर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1026, तारीख 25 मार्च, 1994 के अनुसार प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1994

G.S.R. 723(E).—The following draft amendment of certain rules to amend the Tea Rules, 1954 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49, read with clause (k) of sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) as recommended by the Parliamentary Committee on Papers is hereby published as required by sub-section (1) of section 49 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the

said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Commerce.

DRAFT RULES

1 These Rules may be called the Tea Amendment Rules, 1994.

2. In the Tea Rules, 1954, for Sub-rule (2) of Rule 35, the following shall be substituted, namely :—

"(2) (a) The audited accounts and annual report duly adopted by the Board shall be submitted to the Government within a period of six months from the date of close of the financial year to which the accounts and report pertain.

(b) In case any delay is anticipated in finalisation of the Accounts Report, the Board may approach the Government at least a month in advance for extension of time not exceeding three months."

[F. No. T-54012/4/93-Plant-A]

J. K. BAGCHI, Additional Secy.

Foot Note :—The principal rules were published as per the Government of India, Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.R.O. 1026 dated the 25th March, 1954.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994